संख्या– / II(2)–2018–04(01)/2017

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 16 मार्च, 2018

विषयः– सिंचाई विभागान्तर्गत नाबार्ड पोषित नहर निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य आकस्मिकता निधि से अनुदान के रूप धनराशि स्वीकृत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 583/प्र0अ0/बी–1 (सामान्य) दिनांक 08 फरवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभागान्तर्गत नाबार्ड पोषित नहर निर्माण एवं बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रू0 25.00 करोड़ (रू0 पच्चीस करोड मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य आकस्मिकता निधि से अनुदान के रूप में आहरित कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 लाख में)

मानक मद	राज्य आकस्मिकता निधि से अनुदान के रूप में आवंटित धनराशि
अनुदान संख्या–20 लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें 051–निर्माण 98–नाबार्ड पोषित 01– नहरों का निर्माण 24–वृहद निर्माण कार्य।	2000.00
4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01–**बाढ़ नियंत्रण** 051–निर्माण 98–नाबार्ड पोषित 01–बाढ़ नियंत्रण कार्य 24–वृहद निर्माण कार्य।	500.00
योग	**2500.00** **(रू0 पच्चीस करोड मात्र)**

(i) अवमुक्त की जा रहीं धनराशि का आहरण/व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।

...2

(ii) उक्त आंवटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

(iii) राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही धनराशि के प्रतिदान हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक खुलवाते हुए धनराशि की आवश्यक व्यवस्था ससमय करायी जायेगी।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(vi) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

2 इस सम्बंध में होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक 8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि लेखा–201 समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः रू0 2000.00 लाख की धनराशि अनुदान संख्या 20– के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष के लेखा शीर्षक लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–06–निर्माणाधीन **सिंचाई नहरें**/अन्य योजनायें– 051–निर्माण–98–नाबार्ड पोषित–01– नहरों का निर्माण– 24–वृहद निर्माण कार्य एंव रू0 500.00 लाख की धनराशि 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–**बाढ़ नियंत्रण**–051–निर्माण–98–नाबार्ड पोषित–01–बाढ़ नियंत्रण कार्य–24–वृहद निर्माण कार्य –मद के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 857/XXVII(1)/2018, दिनांक 15 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या– 41 /XXVII(1)/रा0आ0नि0/2017 दिनांक 14 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह/
(अमित नेगी)
सचिव (वित्त)

पृ0संख्या– 529 (1)/ II(2)–2018–04(01)/2017तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।